

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

कदमा नं० 62 / 2022

तारीख रजू :- 04.04.2022

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

मेशल आई0डी0 नम्बर 2022 / 132

उनवान

मुनील कुमार पुत्र श्री बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी मोहन नगर हिण्डौन सिटी, हाल निवासी बरकत नगर, जयपुर राजस्थान

—वादी

बनाम

अब्दुल सरदार पुत्र अब्दुल सत्तार जाति मुसलमान निवासी गुलशन कॉलोनी कोतवाली के पीछे हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण—10

दिनांक	फर्द अहकाम
04.2022	यह दावा वादी की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह जादौन के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 02.05.2022 को पेश हो।
	<p style="text-align: right;">(अनुप सिंह) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p> <p>१५/२२ पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। पत्रावली पढ़ने के बाद अज्ञात पत्रावली 26-7-22 को पेश हुई।</p>
26/२२	<p>वकुलाय उपस्थित/पीठसभ अधिकारी... 23.07.22 को पेश हो। गतानुसार दिनांक 8.8.22 को पेश हो।</p>
	<p>१४/२२ पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसिएशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अतः पत्रावली प्रस्तुतानुसार दिनांक..... को पेश हो। 13-8-22</p>
13/२२	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व. वादी वकील उपस्थित। वादी व. वादी वकील ने अनुरोध किया कि वादी का प्रतिवादीगण से शपथनामा ही पेश करे। वादी प्रकरण अब आजीवनी चलाना चाहता है। प्रकरण में ही अदालत की भावना से शपथनामा हुआ है। वादी प्रकरण आजीवनी चलाना चाहता है। अतः मुं नं० 62/22 दावा मुनील कुमार बनाम अब्दुल सरदार रजिस्ट्रिड किया जाता है। पत्रावली मुनील कुमार ही 22 अक्टूबर से कमधी।</p>

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

Sir  
राजीव  
होगा ए  
रूपीग २६  
—प्राणेश  
लोक अग्रणी  
ही २१/९/२०  
वादीगण कुण्ड